□□□□ □□□□□
स□स्थ्य □□ □f□□□□ □ल□□□ □त्रा□□□
स□स्थ्य □□ □f□□□□ □ल□□□ f□□□□

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 3295
12 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त□□

□□क□□-□□□□ □□□□□
3295. □□□□ □□f□□ □□□ा□

क□□ **स□स्थ्□** □□ □f□□□□ □ल□□□ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सरकारी अस्पतालों की संख्या कितनी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में प्रत्येक अस्पताल में नियुक्त डॉक्टरों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या देश में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण □□□ □□□□/□च□□□□ □□ □;
(□) □f□ □□,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) देश में विशेषकर, उत्तर प्रदेश में विगत पांच वर्षों के दौरान मरने वाले रोगियों/बच्चों की □ख□□ f□□□□ □□; □□
(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम □□□□ □□ □□□□?

□त□□
स□स्थ्य □□ □f□□□□ □ल□□□ □□ज□ □त्री (श्री □□शे□□□ □□□□□ □□□)

(□) □ष्ट्री□ स□स्थ्य प्रो□□□□ 2018 □□ □□□□□ □□ □ □□ 23582 □□□□ी □स□□□□ □ □□□□ □□4635 □स□□□□ □त□र प्रदेश में हैं। अंतर रोगी परिचर्या (आईपीडी) सेवाएं प्रदान करने □□□□□□□□ी □स□तालों का राज्य/□□ □□ज□ क्षेत्र□□ ब□□□ □□□ग□□-1 □□ f□□□ □□□ □□ प्रत्ये□ □स□ताल में नियुक्त f□f□त□कों की संख्या के संबंध में केन्द्री□ □□□ □□ □□□□□□□ी□ रखे जाते हैं। तथापि राष्ट्री□ स□स्थ्य प्रो□□□□ 2018 □□ □□□□□ □□ 2017 □□ □□□□□ f□□त□□ परिषद /राज्य f□□त□□ □f□□□ □□□□□ □□□ 10,41,395 □□□□f□□ f□□त□□ □□□□□ हैं जिनमें से 71,480 f□□त□□ □त□र प्रदेश राज्य f□□त□□ □f□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ f□□त□□ी □ी □ख□□ □□ □□ज□/□□ □□ज□ □□ज□ क्षेत्र□□ ब□□□ □□□ग□□ -2 □□ f□□□ □□□ □□
(□) □□(□.): "जन स्वास्थ्य एवं अस्प□□□" □□ज□ □□ f□□□ □, □□f□□ □□□□ □□□f□□ी □□ स□स्थ्य परिचर्या सेवा प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राष्ट्री□

स[illegible]स्थ्यय मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/[illegible] [illegible]ज[illegible] क्षेत्रों को उनको कायक्रम कायान्व[illegible] [illegible] ([illegible]) म उनको समग्र संसाधन क्षमता के भीतर उनके द्वारा प्रस्तु[illegible] [illegible]श[illegible] [illegible] स[illegible]स्थ्य मानदंड (आईपीएचएस) के अनुरूप सरकारो [illegible]स[illegible]तालों म संविदागत आधार पर चिकत्कों, विशेषज्ञ चिकत्सकों तथा अन्य स[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]न[illegible] सुविधाओं म सुधार के लिए सहयोग सिह[illegible] [illegible] स[illegible]स्थ्य परिचया प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्ती[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्र[illegible] [illegible]

[illegible], सरकार ने देश म चिकत्सकों और विशेषज्ञों का संख्या [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]त[illegible] [illegible] [illegible]ये ह। इन कदनों म निम्नलिखित शामिल ह:

(i) सभी एमडी/एमएस पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुपात को 1:1 [illegible] [illegible] 1:2 [illegible] [illegible]स[illegible], फौरेंसिक मेडिसिन, [illegible], मेडिकल कसर विज्ञान, सजिकल कसर विज्ञान तथा मनोविज्ञान विषयों म इस अनुपात को 1:1 के अनुपात से बढ़ाकर 1:3 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षक छात्र अनुपात को सावजनिक वित्त पोषित सरकारो मेडिकल कॉलेजों म, [illegible] नैदानिक विषयों हेतु प्रोफेसरों के मामले म 1:2 से बढ़ाकर 1:3 कर दिया गया है [illegible] [illegible]. प्र[illegible]र का 1:1 से 1:2 कर दिया गया है यदि एसो. प्रोफेसर यूनिट अध्यक्ष है।

(ii) [illegible] स[illegible]तकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने / स्नातकोत्तर सीटों म वृद्धि करने के लिए [illegible]ज[illegible] सरकार के मेडिकल कालेजों को सुदृढ़ करना / उनका उन्न[illegible] [illegible]

(iii) [illegible]ख[illegible] रू[illegible] [illegible] [illegible]ल[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]/ [illegible] [illegible]स[illegible] [illegible] [illegible]न[illegible] [illegible] मेडिकल कालेजों का स्था[illegible]

(iv) एमबीबीएस सीटों म वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार/ कद्र सरकार के विद्यमान मेडिकल कालेजों को सुदृढ़ करना / उनका उन्न[illegible] [illegible]

(v) [illegible] [illegible]स[illegible] और दुगम क्षेत्रों म काम करने के लि[illegible] [illegible]त[illegible]कों को प्रोत्साहि[illegible] [illegible] [illegible]त[illegible] [illegible] [illegible]न्द्र [illegible] [illegible] [illegible] निम्नलिखित को प्रदानगी हेतु स्ना[illegible]त[illegible]र चिकत्सा शिक्षा विनियमन, 2017 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

- सरकारो सेवा म चिकत्सा अधिकारियों के लिए स्ना[illegible]त[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 50 प्रतिशत आरक्षण जिन्हों[illegible]स[illegible] और दुगम क्षेत्रों म कम से कम तीन वष को सेवाएं दो ह; [illegible]
- स[illegible]त[illegible]र चिकित्सा पाठ्यक्रमों म प्रवेश हेतु प्रवेश परोक्षा म दूरस्थ [illegible] दुगम क्षेत्रों म सेवा के लिए प्रत्ये[illegible] [illegible] [illegible]प्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत से लेकर अधिकतम 30 प्रतिशत [illegible] प्र[illegible]त[illegible] [illegible]

□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□ □□ स□□स्थ्य □न्द्रों के लिए विशेषज्ञों के नियोजन हेतु □□ज□ों को लचीले मानदंड अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है । इनम जन सुविधा केन्द्रों पर सेवा प्रदानगी के लिए सरकारी प्रणाली के बाहर विशेषज्ञ सेवाओं के लिए '□□ट्रे□□□ □□ □□ □□ट्रे□□□ □□□' संबंधी विभिन्न तंत्र और विशेषज्ञों के नियोजन की पद्धति सम्मिलित है।

□□ज□ों को विशेषज्ञों को आकृष्ट करने के लिए वार्ता योग्य □□□ □□ प्रस□□□ □□□□□ी □□ अनुमति प्रदान की गई है जिसम '□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ि□□ों □ लचीलापन शामिल है। जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों □□ चि□ि□त□कों और विशेषज्ञों की कमी के मुद्दे के समाधान हेतु मानव संसाधनों के नियोजन के लिए राज्यों □□ □□□ वि□ष□□□□ □□□ि□□ प्रो□त□□□□ □□□, ग्रा□□□□ □□□□□स□ क्षेत्रों म आवास तथा परिवहन □ि□□□□प्रा□□ □□□□, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करने के लिए वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया जाता है। राज्य/□□ □□ज□ क्षेत्रों को विशेषज्ञ चिकित्स□ों, □□ ग्रा□□□ □□□□□स□ क्षेत्रों म सेवाएं देते ह, के लिए दुर्गम क्षेत्र □त□ □□□□□-□□□ □□□□ि□□ □□□□□□ क□□□ों □□□□□ □ □□ □□□□□ प्र□□ वि□□ □□□□ □□

□□□□ □□□□□, □□ज□ों □□ □□□□□ □□ स□□नांतरण की पारदर्शी नीतियों को लागू करने और चि□ि□त□कों की तार्किक तैनाती सुनिश्चित के लिए सलाह दी जाती है। चूंकि संबंधित राज्यों/□□ □□ज□ क्षेत्र □ी □□□□□ों द□□□□ स□□स्थ्य सुविधा केन्द्रों के लिए अपेक्षित पदों को भरा जाता है। अत: रिक्त □□ों □□ □□□-□□□ □□ □□□□□□ि□□ □□ □□ □□ वि□□ □□□□ □□

देश म सरकारी अस्प□□□ों □ चि□ि□त□□ों □□ □न□ स□□स्थ्य □ि□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ी□ों/□च□ों □ी □ख□□ के बारे म केन्द्री□ स□□ □□ □□□□ □□ि□□□ □□□□ □□

[illegible] - I

[illegible] म ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों म सरकारी अस्पतालों और [illegible] बिस्तरों का [illegible]/[illegible] क्षेत्र-[illegible]

([illegible])

क्र.[illegible]	राज्य / केन्द्र [illegible] प्र[illegible] / प्र[illegible]	ग्रामीण अस्पताल ([illegible])		[illegible] ([illegible])		[illegible] ([illegible])		संदर्भ अवधि [illegible]/ प्रक्षेपित [illegible] (000 #)	प्रति सरकारी [illegible] [illegible]	प्रति सरकारी [illegible] बिस्तरों से [illegible]	[illegible]
		[illegible]	बिस्तर	[illegible]	बिस्तर	[illegible]	बिस्तर				
	[illegible]	19810	279,588	3772	431,173	23,582	710,761	1310944	55,591	1844	
1	[illegible]	193	6480	65	16,658	258	23,138	88,361	342,484	3819	2017/01/01
2	[illegible]*	208	2136	10	268	218	2404	1327	6087	552	2017/12/31
3	[illegible] *	1176	10944	50	6198	1226	17,142	32810	26,762	1914	2017/12/31
4	[illegible]	930	6083	103	5936	1033	12019	103,908	100,589	8645	2016/12/31
5	[illegible]	169	5070	45	4342	214	9412	24,909	116,397	2647	2016/01/01
6	[illegible]*	17	1405	25	1608	42	3013	2023	48167	671	2017/12/31
7	[illegible]	364	11715	122	20,565	486	32,280	62,825	129,270	1946	2016/12/31
8	[illegible]*	609	6690	59	4550	668	11240	28057	42001	2496	2016/12/31
9	[illegible]*	705	5665	96	6734	801	12,399	7151	8928	577	2017/12/31
10	[illegible]	56	7234	76	4417	132	11,651	12419	94,083	1066	2016/12/30
11	[illegible]	519	5842	36	4942	555	10,784	33,203	59,825	3079	2015/12/31
12	[illegible]*	2471	21,072	374	49093	2844	69,865	68,415	24,056	979	2017/12/31
13	[illegible]	981	16,865	299	21139	1280	38,004	35,677	27,873	939	2017/01/01
14	[illegible]	334	10020	117	18,819	451	28,839	76,745	170,166	2661	2016/01/01
15	[illegible]	273	12398	438	39,048	711	51446	118,652	166,880	2306	2015/12/31
16	[illegible]	23	730	7	697	30	1427	2506	83,533	1756	2014/01/01
17	[illegible] *	143	1970	14	2487	157	4457	2803	17,854	629	2017/12/31
18	[illegible] *	56	604	34	1393	90	1997	1074	11933	538	2017/12/31
19	[illegible]	21	630	15	1250	36	1880	2354	65,389	1252	2015/12/31
20	[illegible] *	1655	6339	149	12180	1804	18,519	42,808	23,729	2312	2017/12/31
21	[illegible] *	510	5805	172	12128	682	17,933	29,372	43067	1638	2017/12/31
22	[illegible]	602	21,088	150	10760	752	31848	72,948	97005	2291	2016/12/31
23	[illegible] *	24	260	9	1300	33	1560	653	19,788	419	2017/12/31
24	[illegible]*	692	40,179	525	37,353	1217	77532	69,730	57,297	899	2017/12/31
25	[illegible] *	802	7668	61	13315	863	20,983	37,823	43,827	1803	2017/12/31
26	त्रि[illegible] *	99	1140	56	3277	155	4417	3867	24948	875	2017/12/31

27	उत्तर प्रदेश*	4442	39,104	193	37,156	4635	76,260	221,469	47,782	2904	2017/12/31
28	[illegible]	410	3284	50	5228	460	8512	10,499	22,824	1233	2015/12/31
29	[illegible]	1272	19,684	294	58,882	1566	78,566	91,920	58,697	1170	2015/01/01
30	[illegible] निकोबार द्वीप [illegible]	27	575	3	500	30	1075	551	18,367	513	2016/12/31
31	[illegible]	0	0	4	778	4	778	1780	445,000	2288	2016/12/31
32	[illegible]	10	273	1	316	1 1	589	437	39,727	742	2017/12/31
33	[illegible]	5	240	0	0	5	240	317	63,400	1321	2015/12/31
34	दिल्ली	0	0	109	24,383	109	24,383	20,092	184,331	824	2015/01/01
35	[illegible]क्षद[illegible]	9	300	0	0	9	300	79	8778	263	2016/01/01
36	[illegible]	3	96	1 1	3473	14	3569	1380	98571	387	2016/01/01

स्[illegible]: राज्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

[illegible]: सरकारी अस्पतालों म कद्र सरकार, [illegible] शामिल ह।

प्रक्षेपित [illegible] प्रक्षेपित जनसंख्या [illegible] तकनीकी समूह की रिपोट [illegible] 2006, राष्ट्री[illegible]

* [illegible] क्षेत्रों [illegible] 2017 के लिए जानकारी प्रदान की है और पीएचसी [illegible] अस्पतालों की [illegible]

□□□ग□□ - II

□□ 2010 □□□□ 2017 □□ □□न□□प्रा□□ चिकित्सा □ग□ता (आईएमसी अधिनियम के तहत) प्राप्त करने वाले चिकित्सकों का राज□/ □□ □ज□ क्षेत्र□□ □ख□ □□ □ज□ चिकित्सा परिषदां/भारतीय चिकित्सा □ि□□ □□□□ □□□□ □□

क्र.□□	राज्य / केन्द्र शासित प्र□□	2010 □□	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (□□ि□□)	2017□□ □□
1	आंध्र प्रदेश	66109	4370	4498	5737	5415	□□. □□.	□□. □□.	□□. □□.	86,129
2	□रु□□□□ प्र□□	334	80	12	55	29	108	145	77	840
3	□□□	19147	561	487	529	611	564	555	78	22,532
4	ि□□□	37,368	969	464	429	813	□□. □□.	□□. □□.	□□. □□.	40043
5	□त□□□□□	3224	882	595	556	812	370	145	331	6915
6	दिल्ली	6748	1006	946	1073	1713	419	2549	1722	16,176
7	□□□	2828	119	136	132	□□. □□.	103	18	31	3367
8	□□□□	47231	1795	2197	2153	□□. □□.	578	□□. □□.	□□. □□.	53954
9	□ि□□□□	5356	361	0	□□. □□.	□□. □□.	□□. □□.	□□. □□.	□□. □□.	5717
10	ि□□□□ प्र□□	913	310	459	296	276	363	232	□□. □□.	2849
11	जम्मू और कश्मीर	11360	635	471	473	67	495	437	388	14,326
12	□□□□	3245	490	355	283	45	285	238	152	5093
13	□□□□	87,734	3727	4207	4772	833	□□. □□.	□□. □□.	3521	104,794
14	□ध□ प्र□□	26,669	947	1338	1298	1409	1417	1269	□□. □□.	34,347
15	□□□□ष्ट्र	138,303	3157	3433	3682	4938	□□. □□.	□□. □□.	□□. □□.	153,513
17	□□□□□□	37300	3730	4864	5603	1169	□□. □□.	□□. □□.	□□. □□.	52,666
16	□□□□	0	0	0	0	0	751	50	□□. □□.	801
18	□ि□□□	16,786	460	380	719	2402	934	□□. □□.	□□. □□.	21,681
19	□□□	39,291	1128	1083	1234	1270	676	□□. □□.	□□. □□.	44,682
20	□□□स□□	28,797	1146	1442	1468	1963	2040	1821	1882	40559
21	ि□□के□□	608	69	74	73	□□. □□.	69	□□. □□.	□□. □□.	893
22	□ि□□□□□	86,822	3476	4182	9218	5064	5088	7997	4552	126,399
23	□□□	40007	2008	1703	1482	2500	3363	3355	833	55,251
24	उत्तर प्रदेश	58,168	2081	2247	2253	594	840	3025	2272	71,480
25	□त□□□□□	3394	307	527	169	660	748	600	655	7060
26	□□श्□□ □□□□	59,264	1230	917	1419	953	1211	492	1488	66,974
27	□□□□□	0	0	0	0	0	0	2354	0	2354
	□□	827,006	35044	37017	45106	33,536	20,422	25282	17,982	1041395

स्रो□: □□□□□ ि□ि□त□□ □ि□□□

टिप्प□□ : □□. □□: राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा सूचित नहीं किया गया है।